

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-03/2018

पद-निजी सहायक

अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय में विज्ञापन संख्या-03/2018 के अन्तर्गत निजी सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 25.02.2019 से 01.03.2019 तक आशुलिपि की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की टंकण जाँच परीक्षा दिनांक 21.05.2019 को आयोजित की गई। टंकण जाँच परीक्षा में अर्हित अभ्यर्थियों को आशुलिपि परीक्षा की मेधा के आधार पर आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार सफल घोषित किया जाता है:-

SI No	Roll Number	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender
कोटि-अनारक्षित					
1	72034	HEMANT SHARMA	SOORAJ PAL SHARMA	08-Aug-96	MALE
2	72035	MUKUL KUMAR	LAXMI PRASAD KESHRI	22-Nov-94	MALE
3	72052	NIRAJ MOHAN	BINAY MOHAN	16-Jan-94	MALE
4	72042	POOJA ANAND	AWADHESH THAKUR	31-Jul-89	FEMALE
कोटि-पिछड़ा वर्ग					
5	72040	KAUSHAL KUMAR	RAMANAND PRASAD	01-Mar-81	MALE
कोटि-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग					
6	72039	KRISHNA KUMAR	RAM ISHWAR SAW	25-Jan-97	MALE
7	72038	RAJ KUMARI	MUNNA PRASAD CHOUHAN	16-Feb-93	FEMALE
कोटि-अनुसूचित जाति					
8	72046	VISHWAJEET KUMAR	VIRENDRA TANTI	12-Feb-85	MALE

उक्त सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सभा सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कॉन्फरेन्स हॉल में दिनांक 20.09.2019 (शुक्रवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में होगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

- ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
- दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए-
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जातिप्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)।
 - स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र,
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

- विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो)।
- प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
- जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

MU
सचिव 11/09/19
बिहार विधान सभा।